

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट  
संपदा विभाग

सं.इएम/एएस-III/एफ-310/2076

दि. 11.07.2013

**परिपत्र**

प्रति:

पट्टेदार/किरायेदार/लाईसेंसधारी तथा आयकर अधिनियम के अंतर्गत सभी संबंधित

इस कार्यालय के दि. 20.04.2013 के परिपत्र सं.इएम/एएस-III/एफ-310/412 के क्रम में आगे, यह नोंद लें कि आयकर अधिनियम, 1961 के 194C, 194I तथा 194A के साथ पठित उसीही धारा 197 के तहत आयकर प्राधिकारियों ने प्रमाणपत्र जारी किये हैं जिनके द्वारा पोर्ट उपयोक्ता, पट्टेदार तथा किरायेदारों तथा बैंकों / वित्तीय संस्थानों को प्रमाणपत्रों में दिये टीएएन (TAN) से व स्रोत पर कर की कटौती नीचे बतायेनुसार घटाये दरोसे करने के लिए प्राधिकृत किया है.

विवरण निम्नानुसार है -

| अनु. क्र. | आयकर अधिनियम की धारा अनुच्छेद | आय का मद                                   | आयकर अधिनियम के अनुसार टीडीएस की दर | स्वीकार्य निम्नतम दर (20.06.2013 से 31.03.2014 तक) |
|-----------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 1.        | 194C                          | संविदागत आय                                | 2%                                  | शून्य  |
| 2.        | 194I                          | किराया                                     | 10% तथा 2%                          | शून्य  |
| 3.        | 194A                          | प्रतिभूतियों पर ब्याज के अलावा अन्य ब्याज. | 10%                                 | 4.45%  |

2. प्रमाणपत्र दि. 20.06.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि के लिए वैध हैं. प्रमाणपत्र सर्शत हैं तथा टीडीएस की शून्य (Nil) दर प्रमाणपत्र के कॉलम 6 में दी गई आय की प्रमात्रा पर लागू हैं. अतः, ऐसी पार्टियों जिनके नाम टीएएन (TAN) के साथ प्रमाणपत्रों में दिखाया गया है, उन्हें आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार मु.पो.ट्र. को विभिन्न प्रभारों का भुगतान करते समय आयकर प्राधिकारियों द्वारा संमत शून्य (Nil) दरोंसे कर की कटौती करने हेतु प्राधिकृत किया गया है. विस्तृत ब्योरा आयकर विभाग से लिया जा सकता है.

3. प्रमाणपत्रों की प्रतियां पोर्ट उपयोक्ता तथा अन्यो की सामान्य जानकारी हेतु संपदा विभाग के रोकड कार्यालय के सूचना फलक पर भी प्रदर्शित की गयी हैं. कृपया यह सुनिश्चित करें कि किराये / क्षतिपूर्ति के भुगतान के समय उपरोक्त परिच्छेद 2 के अनुसार, स्रोत पर कर की कटौती **न की जाए**. यह प्रमाणपत्र दि. 31.3.2014 तक वैध हैं.

हस्ता/-

(गौ. दत्ता)

संपदा प्रबंधक